नियमावली

1. संस्था का नाम	:	गंगा श्यौदान सिंह जनकल्याण समिति
2. संस्था का पूरा पता	:	लेखपाल कालौनी, बबराला तह0 गुन्नौर जिला बदायूँ
3. संस्था का कार्यक्षेत्र	:	समस्त उत्तर प्रदेश

4. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग :-

संस्था की सदस्यता प्राप्त करने हेतु आवदेन पत्र प्रबन्धकारिणी समिति में प्रस्तुत किया जायेगा, जिसके निर्णय के उपरान्त ही कोई व्यक्ति संस्था का सदस्य बन सकेगा, आवेदक बालिग होना अनिवार्य होगा, सदस्यता का वर्गीकरण निम्न प्रकार होगा।

संरक्षक सदस्य : क्षेत्र के ऐसे सम्भ्रांत व्यक्ति जो संस्था के उद्देश्यों में आस्था रखते हो और मानव सेवा को समर्पित हों उन्हें प्रबन्धकारिणी समिति संरक्षक सदस्य मनोनीत करेगी

आजीवन सदस्य : संस्था को एक मुश्त 1000/- रुपये नकद या इसके समक्ष चल-अचल सम्पत्ति प्रदान करने वाले व्यक्ति संस्था के आजीवन सदस्य कहलायेगें।

विशिष्ट सदस्य : संस्था को एक मुश्त 500/- रुपये नकद या इसके समक्ष चल-अचल सम्पत्ति प्रदान करने वाले व्यक्ति पांच वर्ष हेतु विशिष्ट सदस्य बन सकेगें।

साधारण सदस्य : संस्था को मुश्त 100/- रुपये प्रति वर्ष सदस्यता शुल्क प्रदान कर कोई भी व्यक्ति संस्था का साधारण सदस्य बन सकेगा।

5. सदस्यता की समाप्ति : निम्नलिखित आधार पर संस्था की सदस्यता समाप्त हो जायेगी:-

मृत्यु होने पर, पागलपन होने पर, दण्डित होने पर, दिवालिया होने पर, सदस्यता शुल्क न देने पर, तीन मीटिंगों में लगातार अनुपस्थित रहने पर, संस्था के विरुद्ध कार्य करने पर, त्याग पत्र देने व उसके स्वीकार हो जाने पर।

6. संस्था के अंग : संस्था के दो प्रकार के अंग होगें :-

1. साधारण सभा
2. प्रबन्धकारिणी समिति

...........2

Nirmal Singh yadav

श्यौदान सिंह

वरिष्ठ सहायक
कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसायटीज एवं चिट्स
मुरादाबाद

Scanned with CamScanner